छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : 23/2022 dt 05-12-22 प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : विपुल लेखर्ड v/s m/s वात्सल्य/वास्तु CGRERA-P-Exe. m. PRO-2022-01724

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26-05-2023-	प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदक द्वारा श्री मुकेश विरानी अधि.। अनावेदक अनुपस्थित। प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14/07/2022 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 18,54,270 रू. (अठ्ठारह लाख चौव्वन हजार दो सौ सत्तर रू. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान नहीं किया हैं। आवेदक ने, निष्पादन आवेदन में, आदेशित राशि आर.आर.सी. के माध्यम से ही वसूली किये जाने का निवेदन किया हैं। अतः आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा– 40(1) छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेशित राशि Rs. 18,54,270 रू. (अठ्ठारह लाख चौव्वन हजार दो सौ सत्तर रू. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	

Scanned with CamScanner